न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 55/2019

प्रार्थीः—

1. ज्योति पुत्री गजराज जी, जाति ब्राहम्ण, उम्र 26 वर्ष, निवासी 376, दुर्गा कोलोनी, रामदेव रोड़, पाली तहसील व जिला पाली (राज.)
2. पुनम पुत्री गजराज जी, जाति ब्राहम्ण, उम्र 24 वर्ष, निवासी निम्बली उर्रा, तहसील व जिला पाली हाल निवासी 376 दुर्गा कोलोनी, रामदेव रोड, पाली तहसील व जिला पाली (राज.)
3. मोहित पुत्र गजराज जी, जाति ब्राहम्ण, उम्र 20 वर्ष, निवासी निम्बली उर्रा, तहसील व जिला पाली हाल निवासी 376 दुर्गा कोलोनी, रामदेव रोड़, पाली तहसील व जिला पाली (राज.)

बनाम अप्रार्थीगणः—

1. गजराज पुत्र भंवरलाल जी, जाति ब्राहम्ण, उम्र— बालिग निवासी—निम्बली उर्रा तहसील पाली, जिला—पाली राज. हाल निवासी 437, शिवदीप नगर, राईको की ढाणी, पानी के टंकी के पास पाली (राज.)
2. पूरणमल पुत्र भंवरलाल जी, जाति ब्राहम्ण, उम्र — बालिग, निवासी— निम्बली उर्रा, हाल निवासी 437, शिवदीप नगर, राईको की ढाणी, पानी की टंकी के पीछे, पाली तहसील व जिला पाली (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली

उपस्थितिः—

1. श्री अशोक अरोड़ा, तरूण उपाध्याय विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण 1 व 2।

प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी:

—:निर्णयः— दिनांक 27-01-2020

1- प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 483 (पूर्व खसरा नम्बर 483/2) रकबा 08 बीघा 12 बिस्वा, किस्म बारानी अव्वल, सालानी लगान 6.44 रूपये एवं खसरा नम्बर 254 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, किस्म नहरी दोयम मौजा सालानी लगान 4.50 रूपये निम्बली उरा, पटवार हल्का निम्बली उर्रा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेतावास, जिला पाली में स्थित है। जिसे आगे वादग्रस्त भूमि कहा जायेगा। जिस वादग्रस्त भूमि के खातेदार टिनेण्ट अप्रार्थी संख्या 01,व 02 तथा बाबुलाल पुत्र भंवरलाल जी, जाति ब्राहण, के पिता भॅवरलाल पुत्र प्रताजी, जाति ब्राहम्ण निवासी— निम्बली उर्रा थे। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 01 व 02 एवं बाबुलाल के पिता भॅवरलाल जी पुत्र प्रताजी का देहांत हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 के प्रभाव मे आने के बाद हो चुका है। जिस मृतक भॅवरलाल जी के जायंदा पुत्र अप्रार्थी संख्या 01 व 02 एवं बाबुलाल है। अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीगण का पिता एवं अप्रार्थी संख्या 02 मृतक भॅवरलाल जी वर्तमान खातेदार होने से बतौर अप्रार्थीगण बनाया है। एवं तहसीलदार पाली भूमिधारी होने से एवं मूल वाद धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत होने से मूल वाद मे आवश्यक पक्षकार होने से इस प्रकरण मे

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

बतौर अप्रार्थी संख्या 03 पक्षकार बनाया गया है। बाबुलाल भी मृतक भॅवरलाल ज़ी के पुत्र है परन्तु उन्होंने अपने हिस्से की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 02 को हकतर्क कर दी है। अब वर्तमान में खातेदार नही होने से उन्हें अप्रार्थी नही बनाया गया है। वादग्रस्त भूमि के एकमात्र काबिज खातेदार टिनेण्ट प्रार्थीगण के दादा भॅवरलाल जी थे एवं रहे एवं उक्त भॅवरलाल जी अपने जीवनकाल में उक्त अराजी पर काबिज रहकर काश्त करते थे एवं उक्त आराजी की बिगोडी भी अदा करते थे। प्रार्थीगण के दादा भॅवरलाल जी का देहांत हो चुका है। दादा भॅवरलाल जी के स्वर्गवास पर प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि मे बाईबर्थ जन्म से अधिकार उत्पन्न हुआ एवं प्रार्थीगण जन्म से ही एवं प्रार्थीगण जन्म के सहअभिधारी, सह काश्तकार, को–टिनेन्ट हुए। उस अनुसार उनका कब्जा काश्त हुआ जो हिस्से अनुसार कब्जा काश्त आज दिन तक चला आ रहा है। भॅवरलाल जी की मृत्यु के पश्चात भॅवरलाल जी के उत्तराधिकारीगण प्रार्थीगण बतौर पोत्रिया एवं पोत्र है एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 तथा बाबुलाल बतौर पुत्र हुए। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के दादा की वादग्रस्त भूमि खातेदारी होने से एवं प्रार्थीगण के दादा भॅवरलाल जी की मृत्यु हो जाने से उक्त भॅवरलाल जी की आराजी मे से अप्रार्थी संख्या 01 का 1/12 एवं प्रार्थीगण का 3/12 एवं 1/3 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट अप्रार्थी संख्या 02 एवं 1/3 हिस्से का खातेदार बाबुलाल हुए। ऐसी स्थिति मे वादग्रस्त भूमि की खातेदार टिनेन्ट भॅवरलाल जी की मृत्यु हो जाने से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 एवं बाबुलाल मृतक भॅवरलाल जी का उत्तराधिकारीण होने से उक्त आराजी मे से अप्रार्थी संख्या 01, को 1/12 हिस्से का एवं प्रार्थीगण को 3/12 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट एवं 1/3 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट अप्रार्थी संख्या 02 को एवं 1/3 हिस्से का खातेदार बाबुलाल को घोषित फरमाया जाना कानूनन आवश्यक एवं लाजमी था, व है। ऐसी कानून की मंशा है। वादग्रस्त भूमि का खातेदार टिनेन्ट भॅवरलाल जी का देहांत जो होने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 01 व 02 एवं बाबुलाल ने अकेले अपना नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवा दिया। जबकि अप्रार्थी संख्या 01 गजराज के प्रार्थीगण पुत्र एवं पुत्रीयों होने से एवं प्रार्थीगण का भॅवरलाल जी की खातेदारी कृषि भूमि मे हक हिस्सा पैतृक सम्पति होने से निहित था, रहा एवं आज भी है।

बाबुलाल ने अपना 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 02 को हकतर्क कर दिया है जिस कारण अप्रार्थी संख्या 02 का वादग्रस्त भूमि मे 2/3 हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 01 का वादग्रस्त भूमि मे मात्र 1/12 हिस्सा ही था एवं शेष 3/12 हिस्सा प्रार्थीगण का था इस कारण अप्रार्थीगणसंख्या 01 को 1/12 हिस्से से ज्यादा हिस्सा हकतर्क करने का अधिकार ही नहीं था उसके बावजुद अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थीगण को उनके हक अधिकारों से वंचित करने के आशय से सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 02 को हकतर्क कर दिया जो हकतर्कनामा प्रार्थीगण के हक हिस्से अधिकार की भूमि 3/12 की हद तक प्रारम्भ से ही शून्य है। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 02 के नाम दर्ज है जबकि राजस्व रेकर्ड मे वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 02 के नाम दर्ज है जबकि राजस्व रेकर्ड मे वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थीगण का 3/12 हिस्सा दर्ज होना चाहिए। इस कारण प्रार्थीगण ने मूल वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया है कि उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि के 3/12 हिस्सा का खातेदार टिनेन्ट प्रार्थीगण को घोषित करवाया जावे एवं तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे जमाबंदी वगैरा मे इन्द्राजात किए जावे।

हकतर्कनामा दिनांक 27/01/2003 के जरिये अप्रार्थी संख्या 01 ने 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 02 को हकतर्क कर दिया है जो कि विधि विरूद्ध है। प्रारम्भ से ही शून्य है। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 01 को 1/3 हिस्सा हकतर्क करने का कोई अधिकार नहीं था। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 01 को वादग्रस्त आराजी मे 1/12 हिस्सा ही प्राप्त था। प्रार्थीगण

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

का 3/12 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 01 को हकतर्क करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इस कारण प्रार्थीगण के 3/12 हिस्से तक अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा किया गया हकतर्कनामा प्रारंम्भ से ही शून्य है। वाद का निर्णय होने तक वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थीगण के 3/12 हक हिस्से में प्रार्थीगण क उपयोग–उपभोग मे कब्जा काश्त मे अप्रार्थीगण दखलंदाजी नही करे एवं अन्य से भी नही करावे एवं प्रार्थीगण का हक हिस्सा एवं अधिकार की 3/12 हिस्से की भूमि को किसी को, किसी भी रूप में बचाण हस्तांतरित भारयुक्त नही करे एवं वाद का निर्णय होकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा होने तक वादग्रस्त भूमि का कोई हिस्सा विशेष किसी का भी, किसी भी रूप मे बचोण हस्तांतरित नही करे भारयुक्त नही करे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध पारित किया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण 3/12 हिस्सा जन्म से ही और हिस्से अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रथम दृष्टया मामला है यदि अस्थाई निषेधाज्ञ पारित नही की जावेगी तो अप्रार्थी संख्या 02 ने दिनांक 28/11/2019 को जिस तरह से धमकी दी है कि वे प्रार्थीगण को काश्त नही करने देगा और सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि को हस्तांतरण कर देगा। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही की जावेगी तो अप्रार्थी संख्या 02 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी करेगा। सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि बेचाण हस्तांतरित कर देगा, भारयुक्त कर देगा, प्रार्थीगण को बेदखल कर देगा। जिससे प्रार्थीगण अपने विधिक हक अधिकारो से वंचित हो जायेगें। प्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी अशोधनीय, अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा मे नही किया जा सकेगा। इस प्रकार तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जावे एवं प्रार्थीगण के पक्ष मे एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय एवं प्रभाव की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमावे कि वाद का निर्णय होने तक वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थीगण के 3/12 हक हिस्से मे प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग मे कब्जा काश्त मे, अप्रार्थीगण दखलंदाजी नही करे एवं अन्य से भी नही करावे एवं प्रार्थीगण का हक हिस्सा एवं अधिकार की 3/12 हिस्से की भूमि को किसी को, किसी भी रूप में बेचाण हस्तांतरित, भारयुक्त नही करे एवं सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि किसी को भी किसी भी रूप मे बेचाण हस्तांतरित नही करे, भारयुक्त नही करे, वाद का निर्णय होकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा होने तक वादग्रस्त भूमि का कोई हिस्सा विशेंष किसी को भी, किसी भी रूप मे बेचाण हस्तांतरित नही करे, मौके एवं रेकोर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

2- प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3- अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 गजराज की पत्नि चन्द्रादेवी के अप्रार्थी गजराज से चले जाने के बाद प्रार्थीगण ज्योति, पूनम व मोहित का जन्म हुआ। गजराज के साथ रहवास व सहवास से चन्द्रादेवी के कोई पुत्र व पुत्री का जन्म नहीं हुआ यानि प्रार्थीगण गजराज की संतान नहीं है इस बाबत प्रार्थीगण की डी.एन.ए. जांच करवाई जा सकती है इस कारण से प्रार्थीगण वाद में वर्णित भुमि पर किसी तरह का कोई हक अधिकार नही रखते है। गजराज के खाते मे किसी तरह की कोई जमीन बकाया नहीं है। अप्रार्थी पूरणमल व बाबुलाल अपने हक हिस्से की जमीन पर बैठे है तथा अप्रार्थी पूरणमल व बाबुलाल के अपने स्वयं के परिवार है जो उनका पोषण कर रहे है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भुमि मे किसी तरह का कोई हक नही बनता है। चन्द्रा पुत्री हरीराम ब्राहम्ण वर्ष 1996 में विजय कुमार पुत्र भंवरलाल ब्राहम्ण के साथ भाग गई थी जिसकी वादीगण संताने है।

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

विजयकुमार ने ढाई लाख रूपये रोकड़ व एक प्लोट चन्द्रादेवी को देकर छुटकारा किया। उसके बाद चन्द्रादेवी जगदीश भाट पुत्र भीमाराम के साथ अवैध रूप से रहने लगी। इस कारण वादीगण का कोई हक अधिकार नहीं बनता है। इस कारण से प्रार्थीगण का वाद पोषणीय नही होने से खारीज किये जाने योग्य है।

4- बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

5- विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के एकमात्र काबिज खातेदार टिनेण्ट प्रार्थीगण के दादा भॅवरलाल जी थे एवं रहे एवं उक्त भॅवरलाल जी अपने जीवनकाल में उक्त अराजी पर काबिज रहकर काश्त करते थे एवं उक्त आराजी की बिगोडी भी अदा करते थे। प्रार्थीगण के दादा भॅवरलाल जी का देहांत हो चुका है। दादा भॅवरलाल जी के स्वर्गवास पर प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि मे बाईबर्थ जन्म से अधिकार उत्पन्न हुआ एवं प्रार्थीगण जन्म से ही एवं प्रार्थीगण जन्म के सहअभिधारी, सह काश्तकार, को–टिनेन्ट हुए। उस अनुसार उनका कब्जा काश्त हुआ जो हिस्से अनुसार कब्जा काश्त आज दिन तक चला आ रहा है। भॅवरलाल जी की मृत्यु के पश्चात भॅवरलाल जी के उत्तराधिकारीगण प्रार्थीगण बतौर पोत्रिया एवं पोत्र है एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 तथा बाबुलाल बतौर पुत्र हुए। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के दादा की वादग्रस्त भूमि खातेदारी होने से एवं प्रार्थीगण के दादा भॅवरलाल जी की मृत्यु हो जाने से उक्त भॅवरलाल जी की आराजी मे से अप्रार्थी संख्या 01 का 1/12 एवं प्रार्थीगण का 3/12 एवं 1/3 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट अप्रार्थी संख्या 02 एवं 1/3 हिस्से का खातेदार बाबुलाल हुए। ऐसी स्थिति मे वादग्रस्त भूमि की खातेदार टिनेन्ट भॅवरलाल जी की मृत्यु हो जाने से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 एवं बाबुलाल मृतक भॅवरलाल जी का उत्तराधिकारीण होने से उक्त आराजी मे से अप्रार्थी संख्या 01, को 1/12 हिस्से का एवं प्रार्थीगण को 3/12 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट एवं 1/3 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट अप्रार्थी संख्या 02 को एवं 1/3 हिस्से का खातेदार बाबुलाल को घोषित फरमाया जाना कानूनन आवश्यक एवं लाजमी था, व है। ऐसी कानून की मंशा है। वादग्रस्त भूमि का खातेदार टिनेन्ट भॅवरलाल जी का देहांत जो होने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 01 व 02 एवं बाबुलाल ने अकेले अपना नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवा दिया। जबकि अप्रार्थी संख्या 01 गजराज के प्रार्थीगण पुत्रं एवं पुत्रीयों होने से एवं प्रार्थीगण का भॅवरलाल जी की खातेदारी कृषि भूमि मे हक हिस्सा पैतृक सम्पति होने से निहित था, रहा एवं आज भी है। बाबुलाल ने अपना 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 02 को हकतर्क कर दिया है जिस कारण अप्रार्थी संख्या 02 का वादग्रस्त भूमि मे 2/3 हिस्सा हैं। अप्रार्थी संख्या 01 का वादग्रस्त भूमि मे मात्र 1/12 हिस्सा ही था एवं शेष 3/12 हिस्सा प्रार्थीगण का था इस कारण अप्रार्थीगण संख्या 01 को 1/12 हिस्से से ज्यादा हिस्सा हकतर्क करने का अधिकार ही नहीं था उसके बावजुद अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थीगण को उनके हक अधिकारों से वंचित करने के आशय से सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 02 को हकतर्क कर दिया जो हकतर्कनामा प्रार्थीगण के हक हिस्से अधिकार की भूमि 3/12 की हद तक प्रारम्भ से ही शून्य है। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 02 के नाम दर्ज है जबकि राजस्व रेकर्ड मे वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 02 के नाम दर्ज है जबकि राजस्व रेकर्ड मे वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थीगण का 3/12 हिस्सा दर्ज होना चाहिए। इस कारण प्रार्थीगण ने मूल वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया है कि उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि के 3/12 हिस्सा का खातेदार टिनेन्ट प्रार्थीगण को घोषित करवाया जावे एवं तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे जमाबंदी वगैरा मे इन्द्राजात किए जावे। हकतर्कनामा दिनांक 27/01/2003 के जरिये अप्रार्थी संख्या 01 ने 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 02 को हकतर्क कर दिया है जो

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

कि विधि विरूद्ध है। प्रारम्भ से ही शून्य है। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 01 को 1/3 हिस्सा हकतर्क करने का कोई अधिकार नहीं था। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 01 को वादग्रस्त आराजी मे 1/12 हिस्सा ही प्राप्त था। प्रार्थीगण का 3/12 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 01 को हकतर्क करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इस कारण प्रार्थीगण के 3/12 हिस्से तक अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा किया गया हकतर्कनामा प्रारंम्भ से ही शून्य है। वाद का निर्णय होने तक वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थीगण के 3/12 हक हिस्से में प्रार्थीगण क उपयोग–उपभोग मे कब्जा काश्त मे अप्रार्थीगण दखलंदाजी नही करे एवं अन्य से भी नही करावे एवं प्रार्थीगण का हक हिस्सा एवं अधिकार की 3/12 हिस्से की भूमि को किसी को, किसी भी रूप में बचाण हस्तांतरित भारयुक्त नही करे एवं वाद का निर्णय होकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा होने तक वादग्रस्त भूमि का कोई हिस्सा विशेष किसी का भी, किसी भी रूप मे बचोण हस्तांतरित नही करे भारयुक्त नही करे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध पारित किया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण 3/12 हिस्सां जन्म से ही और हिस्से अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रथम दृष्टया मामला है यदि अस्थाई निषेधाज्ञ पारित नही की जावेगी तो अप्रार्थी संख्या 02 ने दिनांक 28/11/2019 को जिस तरह से धमकी दी है कि वे प्रार्थीगण को काश्त नही करने देगा और सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि को हस्तांतरण कर देगा। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही की जावेगी तो अप्रार्थी संख्या 02 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी करेगा। सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि बेचाण हस्तांतरित कर देगा, भारयुक्त कर देगा, प्रार्थीगण को बेदखल कर देगा। जिससे प्रार्थीगण अपने विधिक हक अधिकारो से वंचित हो जायेगें। प्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी अशोधनीय, अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा मे नही किया जा सकेगा। इस प्रकार तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय एवं प्रभाव की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमावे कि वाद का निर्णय होने तक वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थीगण के 3/12 हक हिस्से मे प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग मे कब्जा काश्त मे, अप्रार्थीगण दखलंदाजी नही करे एवं अन्य से भी नही करावे एवं प्रार्थीगण का हक हिस्सा एवं अधिकार की 3/12 हिस्से की भूमि को किसी को, किसी भी रूप में बेचाण हस्तांतरित, भारयुक्त नही करे एवं सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि किसी को भी किसी भी रूप मे बेचाण हस्तांतरित नही करे, भारयुक्त नही करे, वाद का निर्णय होकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा होने तक वादग्रस्त भूमि का कोई हिस्सा विशेंष किसी को भी, किसी भी रूप मे बेचाण हस्तांतरित नही करे, मौके एवं रेकोर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

6- बहस के द्वौरान वकील अप्रार्थीगण ने जवाब मे प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि गजराज की पत्नि चन्द्रादेवी के अप्रार्थी गजराज से चले जाने के बाद प्रार्थीगण ज्योति, पूनम व मोहित का जन्म हुआ। गजराज 35 साल से संन्यासी है। गजराज के साथ रहवास व सहवास से चन्द्रादेवी के कोई पुत्र व पुत्री का जन्म नहीं हुआ यानि प्रार्थीगण गजराज की संतान नहीं है इस कारण से प्रार्थीगण वाद में वर्णित भुमि पर किसी तरह का कोई हक अधिकार नही रखते है। गजराज के खाते मे किसी तरह की कोई जमीन बकाया नहीं है। अप्रार्थी पूरणमल व बाबुलाल अपने हक हिस्से की जमीन पर बैठे है तथा अप्रार्थी पूरणमल व बाबुलाल के अपने स्वयं के परिवार है जो उनका पोषण कर रहे है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भुमि मे किसी तरह का कोई हक नही बनता है। चन्द्रा पुत्री हरीराम ब्राहम्ण वर्ष 1996 में विजय कुमार पुत्र भंवरलाल ब्राहम्ण के साथ भाग गई थी जिसकी वादीगण संताने है। विजयकुमार ने ढाई लाख रूपये रोकड़ व एक प्लोट चन्द्रादेवी को देकर छुटकारा किया। उसके बाद चन्द्रादेवी जगदीश भाट पुत्र भीमाराम के साथ अवैध रूप से रहने लगी। इस

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

कारण वादीगण का कोई हक अधिकार नहीं बनता है। इस कारण से प्रार्थीगण का वाद पोषणीय नही होने से खारीज किये जाने योग्य है।

7- पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन करने के बाद पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण का पिता है और यह उक्त जमीन पुश्तैनी है। अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये स्थगन आदेश हेतु तीन तत्व प्राईमाफेसाई केस, सुविधा का संतुलन एवं अकथनीय हानि होने के स्थिती मे दिया जा सकता है। उक्त तीनो तथ्य प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण को यदि वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होना प्रथम दृष्ट्या जाहिर होता है।

8- अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनिय म, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम निम्बली उर्रा, खसरा नम्बर 483 (पूर्व खसरा नम्बर 483/2) रकबा 08 बीघा 12 बिस्वा, किस्म बारानी अव्वल, सालानी लगान 6.44 रूपये एवं खसरा नम्बर 254 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, किस्म नहरी दोयम के प्रार्थीगण के 3/12 हक हिस्से मे प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग मे कब्जा काश्त मे, अप्रार्थीगण दखलंदाजी नही करे एवं अन्य से भी नही करावे एवं प्रार्थीगण का हक हिस्सा एवं अधिकार की 3/12 हिस्से की भूमि को किसी को, किसी भी रूप में बेचाणं हस्तांतरित, भारयुक्त नही करे एवं मौके एवं रेकर्ड की यथास्थीती बनाये रखे। उक्त भूमि किसी को भी किसी भी रूप मे बेचाण हस्तांतरित नही करे एवं दखल दस्तंदाजी न तो स्वयं करें न ही अपने किसी एजेन्ट या नौकर चाकर या रिश्तेदार से करावें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी की जावे।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर दिनांक 27.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.02.12 15:02:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: